

मध्यप्रदेश विधान सभा

फरवरी-मार्च, 1999 सत्र

दैनिक कार्य सूची

शुक्रवार, दिनांक 5 फरवरी, 1999 (माघ 18, 1929)

समय 10.30 बजे दिन

1. शपथ/प्रतिज्ञान

जिन सदस्यों ने शपथ नहीं ली है या प्रतिज्ञान नहीं किया है, वे शपथ लेंगे या प्रतिज्ञान करेंगे, सदस्यों की नामावली में हस्ताक्षर करेंगे और सभा में अपना स्थान ग्रहण करेंगे.

2. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री धनेश पट्टिना, डेप्यरी विकास मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य डेप्यरी विकास निगम में स्थापित भोपाल (समापनाधीन) समापक का लेखा विवरण तथा लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1997-98 पटल पर रखेंगे.

4. नियम 136 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री हिम्मल कोठारी, सदस्य, रत्नलाम स्थित श्री सज्जन मिल के श्रमिकों को वेतन का धुगतान न होने से उत्पन्न स्थिति की ओर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री देवप्रताप सिंह, सदस्य, राजनांदगांव जिले के खैरागढ़ लोक निर्माण संभाग अन्तर्गत गंडई-सालडैटकराई मार्ग के रख रखाव में अनियमितता होने की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

5. राज्यपाल के अभिभाषण पर श्री रणेंद्र प्रसाद शुक्ल, सदस्य, द्वारा दिनांक 2 फरवरी, 1999 को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा (अध्यक्ष)

" राज्यपाल ने जो अभिभाषण किया उसके लिये मध्यप्रदेश विधानसभा के इस सत्र में समवेत सदस्यगण अत्यन्त कृतज्ञ हैं."

निर्धारित
समय

6. अज्ञातसक्रीय संकल्प

(1) चौधरी राकेश सिंह, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

45 मि. " सदन का यह मत है कि शासन द्वारा गृह विभाग के अंतर्गत कार्यरत आरक्षक, प्रधान आरक्षक एवं सहायक पुलिस निरीक्षक श्रेणी के कर्मचारियों को उनके गृह जिले में पदस्थ न किये जाने हेतु वांछित आदेश/नियम लागू किया जाय."

(2) श्री महेश तिवारी, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

45 मि. " सदन का यह मत है कि कृषि के लिये उपयोग हेतु बने बांध व नहरों के पानी का उपयोग सिंचाई हेतु ही प्राथमिकता से किया जाय, उद्योगों के लिये इसके उपयोग पर रोक लगाकर, उन्हें स्वतंत्र जल स्रोत बनाने की योजना को प्रोत्साहन दिया जाय."

(3) श्री भूपेन्द्र सिंह, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

1 घंटा " सदन का यह मत है कि ग्रामीण क्षेत्र की नल-जल योजना का संचालन लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के द्वारा ही किया जाय."

भोपाल :
दिनांक : 4 फरवरी, 1999

के.पी. तिवारी
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा